

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक-एफ.21()Computer/MobileApps/SJED / 2018 / 5844

जयपुर, दिनांक 29.1.19

परिपत्र

विषय- विभागीय छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान Inspection App के माध्यम से छात्रावासों के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय छात्रावासों के निरीक्षण करते समय इसके संबंध में रिपोर्ट ऑनलाईन प्रस्तुत करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित मोबाईल एप्प (Rajdhara Survey) पर विभागीय छात्रावासों के जिलेवार नाम अंकित करवा दिए गए हैं। मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों (आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित) द्वारा उन्हें आवंटित जिलों या अन्य जिलों के भ्रमण के दौरान किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट एप्प पर प्रदत्त प्रश्नावली के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही निरीक्षण की फोटो भी अपलोड करनी होगी।

विभागीय जिलाधिकारियों को भी उनके द्वारा समय-समय पर स्वयं के जिले के छात्रावासों के लिए गए निरीक्षण की रिपोर्ट भी उनके द्वारा उक्त एप्प के माध्यम से प्रस्तुत की जानी होगी।

इस एप्प को एंड्रॉयड (android) अथवा समकक्ष स्मार्ट फोन (smart phone) में गूगल प्ले स्टोर (google play store) से निःशुल्क डाउनलोड कर उपयोग में लिया जा सकता है।

विभागीय मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे अपने मोबाईल पर उक्त एप्प को आवश्यक रूप से डाउनलोड कर लें एवं आवश्यकतानुसार छात्रावासों के निरीक्षण के समय इस एप्प के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस एप्प को प्रयोग करने के लिए अधिकारी को स्वयं के एसएसओ आई डी के माध्यम से एप्प पर लॉगइन करना होगा।

(शुचि शर्मा) ✓

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक-एफ.21()Computer/MobileApps/SJED / 2018 / 5845-50

जयपुर, दिनांक 29.1.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
3. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण।
4. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिलाधिकारी एवं जिलों में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(आई.टी.)